भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

सं0 4(3)/2012–समन्वय

दिनांक : 7th नवम्बर ~~अक्तूबर~~, 2012

विषय :– भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद (सीजेएससी) की दिनांक 18 सितंबर, 2012 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में संपन्न 30वीं बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद (सीजेएससी) की दिनांक 18 सितंबर, 2012 को एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में संपन्न 30वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है। यह अनुरोध है कि बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को पत्र जारी होने के एक माह की अवधि के अन्दर अवगत कराएं।

स. कु. बेहेरा

(एस.के. बेहरा)
उप सचिव (जीएसी)

वितरण :–

1. सीजेएससी के सभी पदाधिकारी/ कर्मचारी पक्ष के सदस्य (नाम से)।
2. श्री चन्द्रशेखर, सचिव (एसएस), सीजेएससी, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद – 500039 ।
3. समस्त भा.कृ.अ.प. अनुसंधान संस्थानों के निदेशक / परियोजना निदेशक से अनुरोध है कि बैठक के कार्यवृत्त को अपने अधीन आने वाले क्षेत्रीय /उप–केन्द्रों में भी परिचालित किया जाए।
4. महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. एवं अध्यक्ष, सीजेएससी, भा.कृ.अ.प. के पीएसओ।
5. सचिव, भा.कृ.अ.प. के प्रधान निजी सचिव/वित्त सलाहकार, डेयर/भा.कृ.अ.प. के निजी सचिव।
6. मीडिया एवं सूचना यूनिट को इस कार्यवृत्त को भा.कृ.अ.प. वैब–साईट में डालने के लिए प्रेषित।
7. भा.कृ.अ.प. के कृषि भवन/कृषि अनुसंधान भवन/एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में स्थित समस्त अधिकारी/ अनुभाग।
8. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां (50)।

CJSC

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद (सीजेएससी) की दिनांक 18 सितंबर, 2012 को संपन्न 30वीं बैठक का कार्यवृत्त।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद (सीजेएससी) की 30वीं बैठक महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. की अध्यक्षता में दिनांक 18 सितंबर, 2012 को सिम्पोयिम हाल, एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में संपन्न हुई। प्रतिभागियों की सूची अनुबंध I के रूप में संलग्न है।

महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. तथा अध्यक्ष, सीजेएससी ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया । इन्होंने भा.कृ.अ.प. प्रणाली में कार्य प्रणाली परिवेश में सुधार के लिए सीजेएससी की भूमिका की सराहना की। इन्होंने भा.कृ.अ.प. के सभी कार्मिकों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के सफलतम कार्यान्वयन के लिए अपनी ओर से अथक प्रयास करने का अनुरोध किया। इन्होंने सभी सदस्यों को स्थान विशिष्ट समस्याओं या जरूरतों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ताकि इन्हें 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा सके। इन्होंने सचिव (एसएस) को आश्वस्त किया कि कृषि भवन में इनका हार्दिक स्वागत है और आप अपनी सचिव (एराएम) की हैसियत से कार्यालय प्रयोजन से जरूरी पड़ने पर दौरा कर सकते हैं और आपको जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। महानिदेशक, भा.कृ.अ.प. ने अवगत कराया कि आर्थिक निर्देशों के कारण सीजेएससी की बैठक दिल्ली से बाहर आयोजित नहीं की जा सकती। इन्होंने यह भी अवगत कराया कि सदस्यों को बैठक का कार्यवृत्त द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

निदेशक (कार्मिक) ने अपने स्वागत भाषण में समिति के समस्त सदस्यों का अभिवादन किया और सैद्धांतिक रूप में अनुमोदित या जिनके बारे में निकट भविष्य में औपचारिक आदेश जारी किए जाने हैं उनका उल्लेख किया।

1. अब से एफएसी के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्यों को भा.कृ.अ.प. के शासी निकाय (जीबी) की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में माना जाएगा।
2. समस्त आईजेएससी/सीजेएससी के लिए समानरूपी अवधि के सुझाव को स्वीकार किया गया और तब तक अवधि की प्रक्रिया विधि से संबंधित आदेशों को शीघ्र जारी किया जाएगा।
3. तकनीकी वर्ग के कार्मिकों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि को पुनः स्थापित करने के आदेश जारी कर दिए हैं और कुछ संस्थानों में अनुवर्ती वसूली गई राशि के मामले की जांच विधि प्रकोष्ठ के तहत की जा रही है और इस मामले पर उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर विचार के बाद औपचारिक आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे।
4. संबंधित संस्थानों से प्रतिनियुक्ति वाले कार्मिकों के विलय के मामले में वहां विचार किया जाएगा जहां मूल यूनिट के प्रदायक संवर्ग (फीडर कैडर) पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इस बारे में विस्तृत आदेश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

CJSC

5. सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त पद भरने के लिए प्रासंगिक और एक बार छूट का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु तैयार किया जा रहा है जो अंतिम चरण में है।

6. टी–5 ग्रेड के कार्मिकों को अनेक लाभ (पर्क्स) प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है जो एचजेएससी/आईजेएससी की लंबित मांग थी।

7. कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल को आडिट एंव एकाउंटस (लेखा परीक्षा एवं लेखा) परीक्षाओं को समय–समय पर नियमित रूप से आयोजित करने तथा एलडीसी के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरने का कार्य सौंपा गया।

8. प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों के लिए स्थानांतरण संबंधी दिशानिर्देशों पर विचार–विमर्श अंतिम चरण में है और शीघ्र आदेश जारी किए जाएंगे।

9. परिषद ने सभी रिक्त पदों को समय पर भरने और इसकी निगरानी के लिए प्रक्रिया विधि आरंभ की है।

10. तकनीकी श्रेणी के कार्मिकों और अधिकारियों के पदनाम का बेहतर और प्रासंगिक बनाने से संबंधित मामले पर एक समिति द्वारा विचार किया गया और इनकी सिफारिशों को एफएसी/सीजेएससी को विचार और टिप्पणी के लिए भेजा गया ताकि शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके और तदनुसार आदेश जारी किए जाएंगे।

इसके बाद निदेशक (कार्मिक) ने अवगत कराया कि बेहतर विचार और प्रयासों के बावजूद मुख्यालय और संस्थानों के सहायकों के वेतन की समानता पर वित्त मंत्रालय ने सहमति नहीं दी है। इन्होंने छठे वेतन आयोग की विशिष्ट सिफारिश की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें क्षेत्रीय संगठन/अधीनस्थ कार्यालयों में सहायकों और मुख्यालय में कार्यरत सहायकों के ग्रेड वेतन में असमानता पर एक सुविज्ञ और प्रासंगिक निर्णय लेने के बारे में उल्लेख किया है।

आगामी विचार–विमर्श के बाद सीजेएससी की 29वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई और 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' को स्वीकार किया गया।

इसके बाद कार्यसूची की मदों पर कार्रवाई शुरू की गई। वास्तव में कार्यसूची की कोई नई मद प्रस्तुत नहीं की गई और सीजेएससी की 28वीं तथा 29वीं बैठक में प्रस्तावित निम्नलिखित मदों पर विचार–विमर्श किया गया।

CJSC

बी 1: भा.कृ.अ.प. संस्थानों/भा.कृ.अ.प. मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए समानरूपी स्थानांतरण नीति ।

यह इच्छा व्यक्त की गई कि स्थानांतरण पर एक समानरूपी और पारदर्शी नीति बनाई जाए।

विचार विमर्श के बाद यह स्पष्ट किया गया कि इस विषय पर परिषद में पहले से ही विचार किया जा रहा है। सदस्यों ने संबंधित दिशानिर्देशों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने की सराहना की तथा यह शीघ्र जारी किए जाएंगे।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

बी 2 : तकनीकी श्रेणी के कार्मिकों की अग्रिम वेतन वृद्धि/वेतन वृद्धि की कटौती के संबंध में निर्देश जारी करना।

सचिव, सीजेएससी द्वारा 9 अगस्त, 2012 को पत्र लिखा गया जिसमें न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया है।

विचार–विमर्श के बाद यह अवगत कराया गया कि तकनीकी कार्मिकों को पहले ही भुगतान की जा चुकी अग्रिम वेतन वृद्धियों की वूसली से संबंधित मामले पर परिषद में सक्रिय रूप से विचार–विमर्श किया गया और शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

[कार्रवाई : उप सचिव (टीएस)]

बी 3 : भा.कृ.अ.प मुख्यालय और संस्थानों के प्रशासनिक पदों में समानता ।

निदेशक (कार्मिक) ने अपने स्वागत भाषण में स्पष्ट किया था कि यह गामला कई बार वित्त मंत्रालय को भेजा गया। यद्यपि वेतन में समानता के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी गई और यह मामला वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है।

बी 4 : संस्थान के सहायक प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी/निजी सचिव पदों में समयबद्ध पदोन्नति में एकरूपता लाते हुए इन्हें भा.कृ.अ.प. मुख्यालय के अनुभाग अधिकारी पद की तरह करना और निजी सचिव के पद को संस्थान में प्रधान निजी सचिव के रूप में उन्नयन करना।

CJSC

जैसा कि उक्त बी 3 मद में अवगत कराया गया है सहायक/सहायक प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को न्यायालय में ले गए हैं और यह न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है। पीए/पीएस को उच्च वेतनमान के संबंध में माननीय केन्द्रीय न्यायिक प्राधिकरण, (कैट), पीबी, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार इनके प्रतिवेदन का निपटारा वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कर दिया गया है।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

बी 5 : कनिष्ठ लेखा अधिकारियों के लाभों की समीक्षा

इस विषय को भी निदेशक (कार्मिक) द्वारा एफएसी की बैठक में स्पष्ट किया गया कि इस बारे में फाईल चला दी गई है और इस बारे में शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

बी 6 : अवर श्रेणी लिपिक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी/सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी के प्रशासनिक पदो के भर्ती नियमों की समीक्षा

सदस्यों को अवगत कराया गया कि अनेक संस्थान आधारित प्रशासनिक पदो के भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर परिषद में जांच की जा रही है जिसे निकट भविष्य में होने वाली शासी निकाय की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

बी 7 : संयुक्त कर्मचारी परिषद का सुदृढ़ीकरण

अध्यक्ष, सीजेएससी ने सचिव (एसएस) को आश्वस्त किया कि जब भी यह सचिव (एसएस) के रूप में कृषि भवन आएंगे इन्हें जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एफएसी बैठक के दौरान उप सचिव (जीएसी) ने भी इन्हें आश्वस्त किया कि वे कृषि भवन में एचजेएससी कार्यालय का उपयोग कर सकते हैं।

[कार्रवाई : उप–सचिव (जीएसी)]

24-कु बेहेरा

बी 8 : भा.कृ.अ.प. मुख्यालय/संस्थानों में सहायक/आशुलिपिकों से संबंधित वेतनमानों में असमानता को दूर करना ।

इस विषय को पहले ही ऊपर बी 3 में स्पष्ट किया जा चुका है।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

बी 9 : भा.कृ.अ.प. के कार्मिकों का अन्य भा.कृ.अ.प. संस्थानों तथा भा.कृ.अ.प. मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर विलय ।

इस विषय पर बैठक के प्रारंभ में तथा एफएसी बैठक में विचार–विमर्श किया गया है कि इस बारे में जरूरी आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

बी 10 :भा.कृ.अ.प. मुख्यालय और संस्थानों के प्रशासनिक पदों के बीच समानता लाना।

यह स्पष्ट किया गया कि भा.कृ.अ.प. मुख्यालय के साथ सहयोगियों के वेतनमान में समानता के मामले और ग्रेड–वेतन/पे–बैंड बढ़ाने के मामले को कई बार वित्त मंत्रालय भेजा गया है किन्तु इन्होंने इस पर अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

बी 11 : आगे गतिरोध से बचने के लिए पात्र उम्मीदवारों के हित के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारियों/सहायक वित्त लेखा अधिकारियों की सीधी भर्ती ।

परिषद सहायक प्रशासनिक अधिकारियों तथा सहायक वित्त तथा लेखा अधिकारियों के मामले के विपरीत खुले बाजार से आमंत्रित किये बिना उम्मीदवारों को पदोन्नति द्वारा उच्च स्तर के प्रशासनिक पदों को भर रहा है।

सदस्यों ने यह भी कहा कि संस्थान सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी करके संस्थान में अनुभाग अधिकारियों को प्रशासनिक पदों पर तैनात कर रहा है इस प्रकार यह मापदण्ड बदला जाये।

निदेशक (कार्मिक) ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच की जायेगी तथा मामले के गुण दोष के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

CJSC

बी 12 : दक्ष सहायक स्टाफ को पदोन्नतियां :

यह प्रस्ताव किया गया कि खुले बाजार से पदों को भरने से पहले एक बार उपाय के रूप में पात्र दक्ष सहायक स्टाफ के बीच से अवर श्रेणी लिपिक/ टी–1 पदों की रिक्तियों को भरा जाये।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के एक सदस्य ने आरोप लगाया कि उनके संस्थान में एसएसएस के लिए एक बार छूट को कार्यान्वित नहीं किया गया। जिसके लिए राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने यह स्पष्ट किया कि अवर श्रेणी लिपिक का कोई पद नहीं था इसलिए इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। सदस्यों में से एक सदस्य ने अर्हता प्राप्त अनुभव वाले हाई स्कूल (उच्च विद्यालय) वालों में से टी–1 पद में कार्यशाला ग्रुप को भरने के लिए भी अनुरोध किया।

अवर सचिव (प्र0) ने यह स्पष्ट किया कि संस्थानों के एसएसएस के लिए एक बार छूट दी गई थी। तथापि यह ध्यान में लाया गया है कि कुछ संस्थान एक बार छूट को कार्यान्वित नहीं कर रहें। उन संस्थानों को सलाह दी जा रही है कि ये एक बार छूट द्वारा पद को भरें।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

सी – अध्यक्ष की अनुमति से अतिरिक्त कार्यसूची मदें।

सी1 केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत और अधिक अस्पताल को शामिल करना ।

आईआईएनआरजी, रांची से केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद के सदस्य ने संस्थान के कर्मचारियों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत अधिक अस्पतालों को शामिल करने का अनुरोध किया।

महानिदेशक महोदय ने अधिकारियें/विषयवस्तु प्रभाग से कहा कि अस्पतालों को मान्यता देने के लिए संस्थान द्वारा जो प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं उन्हें शीघ्र ही अनुमोदित किया जाये अगर वे कसौटी तथा पैरामीटरों (प्राचलों) को पूरा करते हों।

[कार्रवाई : उप–सचिव (अभियांत्रिकी)]

CJSC

सी 2 : चालकों का कार्य करने वाले एसएसएस को भुगतान की जा रही दरों में संशोधन।

डीसीआर पुत्तुर से केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद के सदस्य ने चालकों का कार्य करने वाले एसएसएस के लिए 4/रू0 की दरों का संशोधन करने के लिए अनुरोध किया । सदस्य द्वारा तकनीकी समिति की बैठक की स्थिति भी मांगी गई।

महानिदेशक महोदय ने सदस्य को आश्वस्त किया कि इस मुद्दे की तुरन्त जांच की जायेगी तथा उप सचिव (जीएसी) से अनुरोध किया कि केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद की बैठकों में विषय वस्तु प्रभागों के उप सचिव को आमंत्रित किया जाये ताकि संस्थान के कुछ मुद्दे उनके द्वारा बेहतर तरीके से व्यक्त किये जा सकें।

उप सचिव (तकनीकी सेवा) ने स्पष्ट किया कि तकनीकी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि कर्मचारियों की मांग तार्किक नहीं पायी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने दूसरी बैठक का आयोजन तथा सदस्यों को स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया।

[कार्रवाई : निदेशक (वित्त)]
तथा उप सचिव (तकनीकी सेवा)

सी 3 : उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नये अतिथि गृह की स्थापना ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सदस्यों ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कर्मचारियों के लाभ के लिए गुवाहाटी में नये अतिथि गृह की स्थापना के लिए अनुरोध किया।

केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद (के.स.क.प.) के अध्यक्ष ने यह महसूस किया कि कोई नये अतिथि गृह की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गुवाहाटी के रानी में राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र है तथा दूसरा सीआईएफआरआई क्षेत्रीय केन्द्र गुवाहाटी में भी है। उन्होंने कहा कि खानपाड़ा में अतिथि गृह को कर्मचारियों द्वारा उपयोग में भी लाया जा सकता है।

सी 4 : दक्ष सहायक कर्मचारियों के स्टाफ एडीआरपी 2008–09 पद में छूट ।

राष्ट्रीय नीबूं वर्गीय अनुसंधान केन्द्र से सदस्य ने अनुरोध किया कि 2008–09 के लिए एडीआरपी द्वारा दक्ष सहायक स्टाफ के पद को स्वीकृति दे दी गई है जिसे सीएल (तकनीकी सेवा) के नियमन के लिए संस्थान में रिलीज किया जाये।

CJSC

यह स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2008–09 के लिए एडीआरपी से संबद्ध फाइल क्लीयरेन्स के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त को प्रस्तुत की जानी है। एक बार यदि यह आईएफडी द्वारा क्लीयर हो जाती है तो सभी संबद्ध संस्थान को पद भरने हेतु वितरित कर दिये जायेंगे।

[कार्रवाई : निदेशक (प्रशा0)]

सी 5 : अन्य संस्थानों से खाली पदों को भरना।

सीफेट, लुधियाना से संयुक्त कर्मचारी परिषद के सदस्य ने अनुरोध किया कि कई संस्थानों में विभिन्न प्रशासनिक पद खाली पड़े हैं, वे अन्य संस्थानों में हस्तान्तरित कर दिये जाये ताकि वे गतिरोध वाले कर्मचारियों के लिए भरे जा सकें।

यह सूचित किया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूर्व में अपर श्रेणी लिपिकों तथा अवर श्रेणी लिपिकों के पदों को संस्थानों के बीच अदला बदली के लिए अनुमति दी थी ताकि पद भरने का कार्य तेजी से हो सके। इस संबंध में यदि कोई नये प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो संबद्ध संस्थानों के साथ परामर्श करके उसकी जांच की जायेगी।

[कार्रवाई : निदेशक (कार्मिक)]

सी 6 : तकनीकी कार्मिकों की अर्हता ।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला से केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद सदस्य ने कहा कि तकनीकी कार्मिकों की अर्हता के संबंध में संस्थानों को जारी परिपत्र अलग होते हैं।

उप सचिव (तकनीकी सेवा) ने स्पष्ट किया कि तकनीकी सेवा की कुछ अर्हता का मामले दर मामले पर विचार किया जा सकता है। केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष का यह मत था कि पदोन्नति कार्य के आधार पर की जा सकती है तथा इसलिए इसे सामान्य का रूप नहीं दिया जा सकता।

[कार्रवाई : उप सचिव (त0 स0)]

सी 7 : एफएसी बैठक में प्रत्येक क्षेत्र के सदस्यों को शामिल करना।

पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान कम्पलैक्स, पटना से केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद सदस्य ने प्रत्येक क्षेत्र के सदस्यों को एफएसी बैठक में शामिल करने का अनुरोध किया।

[कार्रवाई : निदेशक (कार्मिक)]

CJSC

स.कु. बंद्रेर।

सी 8 : कैट मामलों में जल्दी निर्णय ।

एनआरसीसी, बीकानेर से सदस्य ने यह आरोप लगाया कि कुछ कैट मामलों में अनुकूल निर्णय होने के बावजूद संबद्ध अधिकारियों सही ध्यान नहीं देते हैं तथा परिषद को मामले में देरी के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ता है।

महानिदेशक ने मामले की जांच के लिए आश्वस्त किया तथा इन मुद्दों पर कानूनी सलाह मांगी।

[कार्रवाई : विधि सलाहकार]

सी 9 : तकनीकी कार्मिकों की अर्हता में छूट

सदस्यों ने यह अनुरोध किया कि फोटोग्राफर तथा मशीन आपरेटरों के लिए पद के कार्यकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अर्हता में छूट दी जाये।

उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) ने स्पष्ट किया कि तकनीकी सेवाओं की श्रेणी 11 में टी–3 के ग्रेड में मैट्रिकुलेशन तथा उच्चतर प्रमाणपत्र की अर्हता के साथ "कार्यशाला स्टाफ के तकनीकी कर्मचारियों को फंक्शनल ग्रुप के तहत पहले ही पदोन्नति की जा चुकी है। इसलिए इस कार्यकरण ग्रुप (फंकशनल ग्रुप) में तकनीकी कर्मचारियों को एक श्रेणी आगे पहले ही अनुमति दे दी गई है। परिषद ने तकनीकी कर्मचारियों का उच्चतर प्रमाणपत्र के साथ मैट्रिकुलेशन अर्हता के साथ श्रेणी 11 में जाने की अनुमति के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। तकनीकी कर्मचारी उच्चतर प्रमाणपत्र के साथ मैट्रिकुलेशन के अर्हता में श्रेणी 11 में टी–5 के ग्रेड तक ही जा सकते हैं।

सी 10 : केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद की भा.कृ.अ.प. वैबसाइट में स्पेस ।

सचिव (कर्मचारी पक्ष) ने टेलिफोन डायरेक्टरी में केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद के सभी सदस्यों के नाम तथा पते को शामिल करने का अनुरोध किया है। उन्होंने भा.कृ.अ.प. के लिए तथा संयुक्त कर्मचारी परिषद तथा संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के सदस्यों के लिए संस्थानों के वैबसाइट के लिए भी अनुरोध किया।

इस संबंध में उप महानिदेशक (अभियांत्रिकी) ने सुझाव दिया कि यदि ग्रुप ई–मेल बने तो कार्य अधिक प्रभावी तथा कुशलता से हो सकेगा। उन्होंने आगे यह भी सुझाव दिया कि यदि अपेक्षित हो तो निदेशक भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान से इस सुविधा को मुहैया करने का अनुरोध किया जाये।

[कार्रवाई : निदेशक भा.कृ.सां.अं.सं]

CJSC

स.कृ. बहेर।

निदेशक रा0डे0 अं0 संस्थान तथा निदेशक, नार्म ने अपने संस्थानों के संबद्ध संस्थान संयुक्त कर्मचारी परिषद के सदस्यों से समर्थन की प्रशंसा की। उनका यह भी विचार था कि जो मुद्दे हरेक संस्थान को प्रभावित करते हैं उन पर विचार किया जाये ताकि उनके कर्मचारियों के बीच असंतोष को दूर किया जा सके।

सभा के अन्त में जब भा0कृ0अ0प0 के महानिदेशक ने बैठक की कार्यवाई को तैयार करने के बारे में बताया तो सचिव (कर्मचारी पक्ष) ने कहा कि कर्मचारी पक्ष द्वारा ड्राफ्ट कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की जायेंगी तथा बैठक की कार्यवाही उप सचिव (जीएसी) द्वारा स्वंय जारी की जाये।

अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

CJSC

नार्स कम्पलैक्स, नई दिल्ली में 18 सितम्बर 2012 के, हुई केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद की 30वीं बैठक में प्रतिभागियों की सूची

डॉ0 एस. अय्यप्पन, महा निदेशक — अध्यक्ष (के.सं.क.प.)

सरकारी पक्ष		कर्मचारी पक्ष		
1.	डॉ0 के.एम.एल. पाठक, उ.म.नि. (एएस)	1.	श्री महेश बी, वाघेला	सीआईएफई, मुम्बई
2.	डॉ0 एम.एम. पाण्डेय, उ.म.नि. (अभि.)	2.	श्री पी.आर. महतो	सीआईएफआरआई, बैरकपुर
3.	डॉ0 एच.एस. गुप्ता, निदेशक, आईएआरआई, नई दिल्ली	3.	श्री एस.के. मोहंती	सीआईएफए, भुवनेश्वर
4.	डॉ0 ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, एनडीआरआई, करनाल	4.	श्री लाल सिंह	सीआईआरजी, मखदूम
5.	डॉ0 एस.एल. गोस्वामी, निदेशक, एनएएआरएम, हैदराबाद	5.	श्री आर.ए शर्मा	सीएसडब्ल्यूआरआई, अविकानगर
6.	श्री वी.के. भाटिया, निदेशक, आईएएसआरआई, नई दिल्ली	6.	श्री आर. सुब्बूराज	सीआईबीए, चैन्नई
7.	श्री देवेन्द्र कुमार, निदेशक (वित्त)	7.	श्री पी.एस. नोबी	सीआईएफटी, कोच्चि
8.	श्री जे.रवि, निदेशक (का0)	8.	श्री हरि शंकर प्रसाद	सीएआरआई, पोर्ट ब्लेयर
9.	श्री जी.पी. शर्मा, उप निदेशक (वित्त)	9.	श्री प्रदीप कुमार माथुर	सीएजैडआरआई, जोधपुर
10.	श्री पी. शक्तिवेल, उप–सचिव (त0से0)	10.	श्री ए.सी. गुप्ता	सीआईएई, भोपाल
11.	श्रीमती राजश्री सुनील, अवर सचिव (त0से0)	11.	श्री राजेश दहिया	सीआईएएच, बीकानेर
12.	श्री के.एन. चौधरी, अवर सचिव (प्र0)	12.	श्री यू.एम. नरखेडे	सीआईसीआर, नागपुर
13.	श्री दिलीप रॉय, अवर सचिव (रोकड)	13.	श्री अजय कुमार टंडन	सीआईपीएचईटी, लुधियाना
14.	श्री जे.एन. भगत, अवर सचिव (जीएसी)	14.	श्री डी.यू. काम्बले	सीआईआरसीटी, मुम्बई
15.	श्री एस.के. बेहरा, उप सचिव (जीएसी)	15.	श्री के.के. मौर्य	सीआईएसएच, लखनऊ

CISC

		16.	श्री दीवान चन्द्रा	सीआईटीएच, श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर)
		17.	श्री सी. रमेश बाबू	सीपीसीआरआई
		18.	श्री नरेश चन्द शर्मा	सीपीआरआई, शिमला
		19.	श्री दीलिप कुमार बरूआ	सीआरआईजेएएफ, बैरकपुर
		20.	श्री तिलक राज	सीएसएसआरआई, करनाल
		21.	श्री दीपक कौल	सीएसडब्ल्यूआरसीआर एंड टीआई, देहरादून
		22.	श्री एम.डी. इलियस	सीटीआरआई, राजामुंद्री
		23.	श्री एल.वी. अजीतकुमार	सीटीसीआरआई, तिरूवन्तपुरम
		24.	श्री डी.आर. भट्ट	मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जूनागढ़
		25.	श्री एन.पी. नेगी	डीएमआर, सोलन
		26.	श्री बी.वी. नोबल	डीओआर, हैदराबाद
		27.	श्री के. बाबू पुजारी	डीसीआर, पुत्तूर
		28.	श्री एस.एस. पटेइला	एमएपी निदेशालय, आनंद
		29.	श्री इजरा	डीआरआर, हैदराबाद
		30.	श्री देसराज	डीडब्ल्यूआर, करनाल
		31.	श्री एडवार्ड क्रास्ता	भा.कृ.अ.प. गोवा के लिए, गोवा अनुसंधान
		32.	श्री मिथलेश नारायण	आईएआरआई, नई दिल्ली
		33.	श्री बिजेन्द्र सिंह	आईएआरआई, नई दिल्ली
		34.	श्री पी.एस. जिना	आईवीआरआई, इज्जनगर
		35.	श्री शैलेन्द्र शाह	आईवीआरआई, इज्जतनगर
		36.	श्री आर.ए. मौर्य	आईवीआरआई, इज्जतनगर

CJSC

		37.	श्री ए.एस.महापात्रा	आईआरसी फॉर ईआर, पटना
		38.	श्री राजेश कुमार	आईएएसआरआई, नई दिल्ली
		39.	श्री दिनेश कुमार नामदेव	आईजीएफआरआई, झांसी
		40.	श्री एस.एम.ए अहमद	आईआईएचआर, बंगलूरू
		41.	श्री के.ए. चतुर्वेदी	आईआईपीआर, कानपुर
		42.	श्री सोमेशवर मिश्रा	आईआईएसआर, लखनऊ
		43.	श्री अर्जुन गोपे	आईआईएनआरएंडजी, रांची
		44.	श्री सनातन सरदार	एनआईआरआईजेएएफ, कलकत्ता
		45.	श्री एस.एस. यादव	एनबीएसएसएलयूपी, नागपुर
		46.	श्री रमेश कुमार	एनबीएजीआर, करनाल
		47.	श्री के.एन. विश्वासवरा	एनबीएआईआई, बेगलूरू
		48.	श्री एस.एन. श्रीवास्तव	एनबीएफजीआर, लखनऊ
		49.	श्री विकास भालाधारे	एनआरसीसी, नागपुर
		50.	श्री दुर्गेश चन्द्र	एनआरसी–एचईआर झरनापानी
		51.	श्री श्याम सिंह	एनडीआरआई, करनाल
		52.	श्री रणबीर सिंह	एनडीआरआई, करनाल
		53.	श्री नवदीप दत्ता	एनसीआईपीएम, नई दिल्ली
		54.	श्री बी.एस. डागर	एनआरसीपीबी, नई दिल्ली

CJSC

		55.	श्री गोविंद प्रसाद	डीआरएमआर, भरतपुर
		56.	श्री के. सनत कुमार	डीएसआर, हैदराबाद
		57.	श्री सी.आर. खुन्तिया	डीडब्ल्यूएम, भुवनेश्वर
		58.	श्री बी.पी उरिया	डीडब्ल्यूएसआर, जबलपुर
		59.	श्री प्रताप सिंह	डीसीएफआर, भीमताल
		60.	श्री सुरेश कुमार	एनआरसीई, हिसार
		61.	श्री चन्द्रशेखर	एनआरसीएम, हैदराबाद
		62.	श्री एस.पी.एस. नेगी	एनआरसीएम, नागालैण्ड
		63.	श्री देबेन्द्र नाथ सांरगी	डीआरडब्ल्यूए, भुवनेश्वर
		64.	श्री सुनील कुमार	पीडीसी, मेरठ
		65.	श्री महेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	पीडीएफएसआर, मेरठ
		66.	श्री एम.एस.एन आचारयुलू	पीडीपी, हैदराबाद
		67.	श्री एस. रंगास्वामी	एसबीआई, कोयम्बटूर
		68.	श्री विष्णु दत्त पांण्डेय	वीपीकेएएस, अल्मोड़ा
		69.	श्री देवेन्द्र कुमार	भा.कृ.अ.प, मुख्यालय, नई दिल्ली
		70.	श्री उमेश कुमार	भा.कृ.अ.प, मुख्यालय, नई दिल्ली
		71.	श्री के. रविंद्रन	डीओपीआर, पेडावेगी
		72.	श्री संतोष पवार	एनआईएएसएम, पुणे

CJSC